

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 02.05.2021

फालिज पीडित महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सरहरी द्वारा अभियुक्त पिन्टु चौहान पुत्र आद्या चौहान निवासी रघुनाथपुर टोला भगतपुरवा थाना गुलरिहा गोरखपुर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पीड़िता पत्नी मनोज निवासी रघुनाथपुर टोला भगतपुरवा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर जो फालिज पीडित है दिनांक 29.04.2021 को रात में शौच के लिये खेत की तरफ गयी थी जहां पर गांव का ही पिन्टु चौहान पुत्र आद्या चौहान द्वारा उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 195/21 धारा 376 भादवि पंजीकृत हुआ था

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पिन्टु चौहान पुत्र आद्या चौहान निवासी रघुनाथपुर टोला भगतपुरवा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

मिर्चाइन चौराहा दिनांक 02.05.2021 समय 12.15 बजे

अभियुक्त को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया -

मु0अ0सं0 195/21 धारा 376 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम

1. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाठक थाना गुलरिहा गोरखपुर
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार शुकला प्रभारी चौकी सरहरी थाना गुलरिहा गोरखपुर
3. का0 अभय शंकर पाण्डेय